


झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग
चायबगान, कालीनगर, नामकोम, रॉची—834010.
e-mail- jharkhand_ssc@rediffmail.com



विवरणिका
विज्ञापन संख्या—04 / 2018
{झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा—2018}

Jharkhand Excise Constable Competitive Examination-2018

{JECCE-2018}

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक— 11/क0च0आ0—16—04/2013 का0—295 (अनु०) दिनांक—10.01.2018 के द्वारा अग्रसारित उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक—2315 दिनांक—22.12.2017 द्वारा संसूचित रिकितयों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए झारखण्ड राज्य के स्थानीय सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु विहित प्रपत्र में उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा—2018 के लिये ऑन—लाईन (Online) आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अर्हतानुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑन—लाईन (Online) आवेदन आयोग के वेबसाईट— www.jssc.nic.in पर लॉग—ईन करके दिनांक 26.12.2018 के पूर्वाहन् 11:00 बजे से दिनांक 09.02.2019 की मध्य रात्रि तक समर्पित किया जा सकता है। तदुपरान्त लिंक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए क्रमशः 13.02.2019 एवं 16.02.2019 तक उपलब्ध रहेगा।

2. झारखण्ड राज्य के उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु रिकितयों की विवरणी :-

क्र. सं.	सेवा का नाम विभाग का नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की संख्या		
				आरक्षित कोटि की रिकितों के विरुद्ध आरक्षित वर्ग की महिला	आ०.ज०.जा० की रिकित के अधीन आदिम जनजाति	
1	2	3	4	5	6	7
1	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के विभाग के तहत उत्पाद सिपाही सम्बर्ग	उत्पाद सिपाही	1.अनारक्षित / सामान्य	264	13	अ०.ज०.जा० कोटि की रिकित का 2 प्रतिशत पद
			2.अनुसूचित जनजाति	138		
			3.अनुसूचित जाति	50		
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—1)	22		
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—2)	44		
			योग :-	518	13	

टिप्पणी:(i). कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक 1182 दिनांक 13.02.2018 के आलोक में महिलाओं को अनुमान्य क्षैतिज आरक्षण की गणना आरक्षित वर्ग की कुल रिकितयों के सापेक्ष की गई है।

(ii) अनुसूचित जन जाति के लिए विज्ञापित रिकित में से 2 (दो) प्रतिशत रिकितयाँ आदिम जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत अनुमान्य होगी। आदिम जन जाति के योग्य उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिकित अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी। आदिम जनजाति कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को विवरणिका की कंडिका 8(III) (i), यथा विवरणिका के परिशिष्ट—I पर धारित विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि ऑन लाईन आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना होगा।

(iii) उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या 1809 दिनांक 05.10.2017 के द्वारा उत्पाद सिपाही की नियुक्ति को निःशक्तजनों के लिए 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से मुक्त किया गया है।

3. पात्रता:-

क) उपर्युक्त कंडिका—2 में वर्णित पदों पर झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन देने के पात्र हैं। अतः विवरणिका के परिशिष्ट—III पर दिये गये प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथि तक आरक्षित एवं अनारक्षित दोनों कोटि के अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है।

- ख) परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह पूर्णतः सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा, आरक्षण की कोटि, स्थानीय निवासी, इत्यादि से सम्बन्धी पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं।
- ग) परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के उपरान्त संक्षिप्त सूची (Shortlisted) के अभ्यर्थियों की शारीरिक एवं चिकित्सीय जाँच के उपरान्त उनके पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकता है। निर्धारित शारीरिक जाँच/चिकित्सीय जाँच/ प्रमाण पत्रों की जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। प्रमाण पत्रों के जाँच के क्रम में आवेदन में भरे गये आरक्षण दावे/पात्रता सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर यथा स्थिति आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा/अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

4. कंडिका— 2 में वर्णित पद का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् है:—

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को)
1	2	3	4
1	उत्पाद सिपाही	वेतन बैंड पी0बी0I— रु0 5200—20200 ग्रेड वेतन— रु0 1900/- (अपुनरीक्षित)	भारत के अन्दर मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक/ दसवीं स्तर उर्तीण।

5. शारीरिक योग्यता :—

उत्पाद सिपाही के लिए

क्रमांक	आरक्षण कोटि	ऊँचाई (से0मी0)	सीना (से0मी0)
1.	अनारक्षित	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
2.	अनुसूचित जनजाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79
3.	अनुसूचित जाति	न्यूनतम 155	न्यूनतम 79
4.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
5.	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -2)	न्यूनतम 160	न्यूनतम 81
6.	महिला	न्यूनतम 148	—

6.0 अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाईंडनेश (Colour Blindness) / रत्नाधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericocele/ Hydrocele/ Piles और Any Communicable Physical/ Mental disease आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जायेगी।

7.0 उम्र सीमा:— उम्र की गणना दिनांक— 01.08.2018 के आधार पर की जायेगी।

क्र० सं.	वर्ग	न्यूनतम उम्र सीमा	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित / सामान्य	18 वर्ष	25 वर्ष
2.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 1) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)– (पुरुष)	18 वर्ष	27 वर्ष
3.	अनारक्षित / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- 2) की महिला	18 वर्ष	28 वर्ष
4.	अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति (पुरुष एवं महिला)	18 वर्ष	30 वर्ष

8.0 आरक्षण :

- (I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।
- (II) विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे। आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण—पत्र आयोग द्वारा प्रमाण—पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगा:—
 - (i) जाति प्रमाण पत्र— जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित—प्रपत्र {अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परिशिष्ट—I पर अंकित प्रपत्र तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1 एवं 2) के लिए परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र} में निर्गत जाति प्रमाण—पत्र।
 - (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 के लिए दिनांक 31.03.2017 के पश्चात् विहित—प्रपत्र (परिशिष्ट-II पर अंकित प्रपत्र) में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।
 - (iii) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑन लाईन आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र की संख्या, इसके निर्गम की तिथि तथा उस प्रमाण पत्र को निर्गत करने वाले प्राधिकार का पद नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। इन प्रमाण पत्रों की जाँच तद्हेतु निर्धारित कार्यक्रम में आयोग द्वारा की जाएगी। इस अवसर पर आवेदन पत्र में भरे गये प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से जाँच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
 - (iv) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 4650 दिनांक 02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट—III पर अंकित प्रपत्र) में अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा एवं अनिवार्य रूप से इस प्रमाण पत्र की संख्या तथा तिथि आवेदन में अंकित करना होगा तथा इस प्रमाण पत्र को प्रमाण पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

- नोट:**(क) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है। आवेदक उपर्युक्त प्रपत्रों में सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करे तथा ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र में यथा स्थान अपने जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की संख्या एवं निर्गम तिथि दर्ज करें। उक्त प्रमाण पत्रों की मांग आयोग आवश्यकतानुसार कभी भी कर सकता है।
- (ख) सक्षम स्तर से भिन्न स्तर एवं विवरणिका के परिशिष्ट—I, परिशिष्ट-II एवं परिशिष्ट-III पर अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा तथा ऐसे प्रमाण पत्रों के आधार पर भरे गये आवेदन पत्र नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किये जा सकते हैं, जिसके लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगे।

9. परीक्षा का स्वरूप

9.1 परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :— परीक्षा निम्नलिखित तीन चरणों में ली जायेगी:-

- (क) लिखित परीक्षा
- (ख) शारीरिक जाँच परीक्षा
- (ग) चिकित्सीय जाँच परीक्षा

9.2 क) सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जायेगी जिसमें सफल होना अनिवार्य होगा।

- ख) लिखित परीक्षा के आधार पर मेधाक्रमानुसार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की संख्या के तीन गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक जाँच परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा के लिए किया जायेगा तथा इन अभ्यर्थियों की सूची उत्पाद आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची को शारीरिक जाँच परीक्षा के आयोजन हेतु भेज दी जायेगी। तदुपरान्त उत्पाद आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा गठित चयन पर्षद के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच परीक्षा की जायेगी। शारीरिक जाँच परीक्षा अर्हक (Qualifying) परीक्षा है, जिस में कोई अंक देय नहीं होगा। शारीरिक जाँच परीक्षा से असंतुष्ट अभ्यर्थी उक्त परीक्षा की तिथि को ही अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा।
- ग) लिखित एवं शारीरिक जाँच परीक्षा में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की चिकित्सीय जाँच परीक्षा एतदहेतु गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा की जायेगी। चिकित्सा पर्षद के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए Apex Medical Board गठित किया जायेगा। चिकित्सीय परीक्षण के सम्बन्ध में Apex Medical Board का निर्णय अंतिम होगा।
- घ) शारीरिक जाँच परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा में योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को चयन पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- ड) उत्पाद सिपाही के पद पर नियुक्त हेतु गठित मेधा सूची में स्थान पाने के लिए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में आरक्षण कोटिवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ताक [यथा विवरणिका की कंडिका 10(i)] प्राप्त करना, शारीरिक जाँच परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

च) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर शारीरिक जाँच परीक्षा तथा चिकित्सीय जाँच परीक्षा में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की मेधासूची गठित की जायेगी तथा उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन करते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा। इस क्रम में पद रिक्त रह जाने की स्थिति में आयोग पुनः अपेक्षित संख्या में लिखित परीक्षा के मेधाक्रम में नीचे के अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक जाँच परीक्षा/चिकित्सीय जाँच परीक्षा के आयोजन हेतु चयन पर्षद को उपलब्ध करायेगा। मेधाक्रम में नीचे के अभ्यर्थियों के चयन के क्रम में अधोलिखित कंडिका 10 (i) में प्रावधानित न्यूनतम अर्हतांक का अनुपालन किया जायेगा।

9.3 लिखित परीक्षा :— लिखित परीक्षा में निम्नलिखित तीन पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न तीन अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। तीनों पत्रों के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे।

(I) पत्र 1 — विषय : (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान — 80 प्रश्न

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान — 40 प्रश्न

कुल — 120 प्रश्न

इस परीक्षा में उर्तीण होने के लिए 30 प्रतिशत न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

(II) पत्र 2 — (क्षेत्रीय / जनजातीय अन्य भाषा ज्ञान)

हिन्दी/ अंग्रेजी/ उर्द्दु/ संथाली/ बंगला/ मुण्डारी (मुण्डा)/ हो/ खड़िया/ कुडूख (उर्हाँव)/ कुरमाली/ खोरठा/ नागपुरी/ पंचपरगनीया/ उड़िया/ संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के एक सौ (100) बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

(III) पत्र :— 3

इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 (एक सौ बीस) होगी एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी:—

सामान्य अध्ययन	—	40 प्रश्न
झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान	—	50 प्रश्न
सामान्य विज्ञान	—	20 प्रश्न
सामान्य गणित	—	10 प्रश्न
कुल	—	120 प्रश्न

टिप्पणी—(1) पत्र—1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत होगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जायेगा।

(2) पत्र—2 जनजातीय/क्षेत्रीय/अन्य भाषा ज्ञान तथा पत्र—3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं होगा।

(3) पत्र—1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र—2 एवं पत्र—3 में प्राप्त अंकों को जोड़ कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।

(4) प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी।

9.4 मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

(I) पत्र-1 (भाषा ज्ञान)

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान :-

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| (i) हिन्दी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न | — 20 प्रश्न |
| (ii) हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न | — 60 प्रश्न |
- इस विषय में हिन्दी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा हिन्दी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

पत्र-1 (अंग्रेजी भाषा ज्ञान)

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान :-

- | | |
|--|-------------|
| (i) अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न | — 10 प्रश्न |
| (ii) अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न | — 30 प्रश्न |
- इस विषय में अंग्रेजी अपठित अनुच्छेद (Unseen Passage) तथा अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न रहेंगे।

(II) पत्र-2 (जनजातीय/क्षेत्रीय/ अन्य भाषा ज्ञान)

विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-VII के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

(III) पत्र-3 (सामान्य ज्ञान)

(क) सामान्य अध्ययन:- इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस-पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन-प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड राज्य एवं भारत देश के संबंध में विशेष रूप से यथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सम-सामयिक विषय- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल-खिलाड़ी महत्वपूर्ण घटनाएँ। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएँ एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखण्ड राज्य की सामान्य जानकारी।

(ख) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान:- झारखण्ड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा-साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखण्ड का योगदान, विकास योजनाएँ, खेल-खिलाड़ी इत्यादि।

(ग) सामान्य विज्ञान :- सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन-प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(घ) सामान्य गणित :- इस विषय में सामान्यतः मैट्रिक/दसवीं कक्षा स्तर के अंक गणित से सम्बन्धित प्रश्न रहेंगे।

9.5 शारीरिक जाँच परीक्षा :—

ऊँचाई एवं सीने की माप का जाँच किया जायेगा। (महिलाओं की सिर्फ ऊँचाई की माप की जायेगी) उम्मीदवारों की शारीरिक योग्यता कंडिका-5 के अनुरूप होगी।

दौड़:-

- (क) पुरुषों के लिए 10 कि०मी० 60 मिनट में।
- (ख) महिलाओं के लिए 05 कि०मी० 40 मिनट में।

शारीरिक जाँच परीक्षा का प्रपत्र परिशिष्ट-IV के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

9.6 चिकित्सीय परीक्षा :—

- i) लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा पर्षद द्वारा किया जायेगा।
- ii) अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों का उचित ढंग से नहीं घुमना, दृष्टिदोष, कलर ब्लाईडनेश (Colour Blindness) / रत्नांधी (Night Blindness), Hearing, Stammering, Bericocele/ Hydrocele/ Piles और Any Communicable Physical/ Mental disease आदि की चिकित्सीय परीक्षण की जायेगी।

चिकित्सीय जाँच परीक्षा का प्रपत्र परिशिष्ट-V के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

- iii) चिकित्सा पर्षद द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए Apex Medical Board, अधीक्षक, राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राँची की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय चिकित्सा पर्षद, राँची होगा। प्रावधानित चिकित्सीय जाँच परीक्षा में लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए Apex Medical Board भी गठित किया जायेगा।

Apex Medical Board के द्वारा चिकित्सीय जाँच परीक्षा का प्रपत्र परिशिष्ट-VI के रूप में विवरणिका के साथ संलग्न है।

10.0 मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण :

- (i) आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत शारीरिक जाँच एवं चिकित्सीय परीक्षा में उतीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र-2 एवं पत्र-3 में प्राप्त कुल अंकों के योगफल के आधार पर तैयार की जायेगी। लिखित परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे एवं उनको मेधा-सूची में शामिल नहीं किया जायेगा:-

(क) अनारक्षित	—	40 (चालीस) प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति	—	32 (बत्तीस) प्रतिशत
(ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग— (अनुसूची-1)	—	34 (चौतीस) प्रतिशत
(घ) पिछड़ा वर्ग— (अनुसूची-2)	—	36.5(छत्तीस दसमलव पाँच) प्रतिशत
(ङ) महिला	—	32 (बत्तीस) प्रतिशत

- (ii) मेधा—सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके मैट्रिक समकक्ष अथवा अन्य अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् मैट्रिक समकक्ष अथवा अन्य अर्हता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में उपर रखा जायेगा।
- (iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में समान मापदंड पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरुद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त उप कंडिका (iii) के आधार पर मेधा—सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि जिन प्रमाण पत्रों की विवरणी आवेदन पत्र में अंकित की जा रही है, व उनके पास उपलब्ध हैं। यह भी सुनिश्चित कर ले कि सभी प्रमाण पत्रों में उनका नाम, पिता का नाम, एवं जन्म तिथि जो अंकित है, उसे ही आवेदन पत्र में दर्ज किया जा रहा है।
- (v) प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण—पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित कर सकता है अथवा रिक्ति के सापेक्ष विवरणिका की कंडिका 10 (i) में प्रावधानित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त अभ्यर्थियों को मेधाक्रम से शारीरिक जांच परीक्षा एवं चिकित्सीय जांच परीक्षा के लिए चयन पर्षद के समक्ष भेज सकेगा।

11.0 परीक्षा शुल्क:—

परीक्षा शुल्क ₹0 800 (आठ सौ रुपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूट:— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क ₹0 200 (दो सौ रुपये) है। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज का भी भुगतान करना होगा।

12.0 ऑन-लाईन आवेदन को भरने के लिए दिशा निदेश

- 12.1 ऑन-लाईन आवेदन को भरने के लिए दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में प्रविष्ट सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को समर्पित (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं Online Application for ECCE-2018 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें।
- 12.2 जनजातीय/क्षेत्रीय/अन्य भाषा ज्ञान के तहत किसी भाषा का चयन करें।
- 12.3 लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र-II में अभ्यर्थी को उस जनजातीय/क्षेत्रीय /अन्य भाषा ज्ञान की परीक्षा देनी होगी जिनका चयन उनके द्वारा किया गया है।
- 12.4 आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आवेदन Submit करने के पूर्व भरे गये आवेदन को ठीक से देख लें। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर ही आवेदन Submit करें। एक बार आवेदन Submit करने के पश्चात् की गई प्रविष्टियों में सीमित संशोधन का एकल अवसर अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा प्रदान किया जायेगा। इसके अधीन अभ्यर्थी अपने नाम में संशोधन नहीं कर पायेंगे। अनारक्षित कोटि/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग के अधीन पूर्व में आवेदन Submit करने वाले अभ्यर्थी अपनी आरक्षण कोटि में संशोधन कर सकते हैं परन्तु अ.ज.जा. एवं ज.जा. के अभ्यर्थी संशोधन लिंक के माध्यम से अनारक्षित कोटि/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग का चयन नहीं कर सकते हैं। इसके अधीन निःशक्तजन प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, चयनित विषय, जन्म तिथि इत्यादि में सुधार का दावा मान्य होगा। उक्त सुविधा के बाद संशोधित प्रविष्टि के आधार पर ही आवेदक के सन्दर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी तथा इसके उपरान्त किसी भी सोपान पर आवेदन की प्रविष्टि में संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।
- 12.5 ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों के द्वारा जिन प्रमाण पत्रों की संख्या एवं तिथि का उल्लेख किया जाएगा उन प्रमाण पत्रों की मूल प्रति सत्यापन कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा /अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी।
- 12.6 आवेदक अपने नाम की वर्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।
- 12.7 आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित है, यथा— तिथि, महीना और वर्ष, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।
- 12.8 आवेदन पत्र में अपलोड किया जाने वाला फोटो हाल का तथा रंगीन होना चाहिए। फोटो से अभ्यर्थी का चेहरा पूर्ण रूपेण एवं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए। धूप चश्मा/टोपी के साथ खींचे गये फोटोग्राफ का व्यवहार न करें।
- 12.9 आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग के वेबसाईट—www.jssc.nic.in पर जाएँ एवं online Application for ECCE-2018 को click करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण (Registration) करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जायेगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड

को नोटकर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉग-ईन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। परीक्षण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होते ही आप पुनः लॉग-ईन करें एवं आप अपने बारे में विस्तृत सूचना अपलोड कर दें। जिस तिथि को आप यह कार्य पुरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12.00 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉग-ईन करें एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के 24 घंटे के बाद पुनः लॉग-ईन कर आप अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर दें तथा भरे हुए आवेदन का प्रिंटआउट अनिवार्य रूप से ले लें क्योंकि भविष्य में आयोग के साथ पत्राचार में आवेदन का प्रिंट आउट की प्रति संलग्न करना होगा।

13.0 आवेदन पत्र समर्पित करने की अवधि—

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा Online आवेदन Submit नहीं हो पायेगा। ऑन-लाईन आवेदन भरने के लिए लिंक दिनांक 26.12.2018 के 11:00 बजे पूर्वाहन् से उपलब्ध होगा तथा आवेदन पत्र को भरने की अन्तिम तिथि 09.02.2019 की मध्य रात्रि तक होगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रथमतः Online आवेदन पत्र में प्रारंभिक विवरण भरा जाएगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क के भुगतान करने के लिए लिंक दिनांक 13.02.2019 तक उपलब्ध रहेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन संख्या डालकर आवेदन पत्र में परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अपना आवेदन पत्र Submit करेंगे। इसके लिए लिंक दिनांक 16.02.2019 की मध्य रात्रि तक उपलब्ध रहेगा। दिनांक 09.02.2019 की मध्य रात्रि के बाद अभ्यर्थी अपना प्रारंभिक विवरण नहीं भर पायेंगे एवं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पायेंगे। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें।

- 13.1 फोटो हस्ताक्षर अपलोड करते हुए आवेदन पत्र समर्पित करने की अंतिम तिथि से तीन दिनों के उपरान्त अर्थात् दिनांक 19.02.2018 की मध्य रात्रि से आवेदन पत्र की प्रविष्टि में सीमित संशोधन हेतु लिंक दिनांक 23.02.2019 की मध्य रात्रि तक आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसके तहत विवरणिका की कंडिका 12.4 में वर्णित संशोधन अभ्यर्थी द्वारा किया जा सकता है।

14.0 नियुक्ति:—

- (i) परीक्षा में सफलता सेवा में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) सेवा में नियुक्तियाँ समय—समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1), एवं महिलाओं के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

15.0 अन्यान्य

- 15.1 आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगा।
- 15.2 आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्टयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- 15.3 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता—पिता/अभिभावक द्वारा:—
- (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
 - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
 - (iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण—पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्त हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :—
 - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
 - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता—पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरुद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
- 15.4 आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :—
- (i) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
 - (ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।
 - (iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।
 - (iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।
 - (v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।
 - (vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

- (vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।
- (ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।
- (x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।
- (xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्णमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।
- (xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।
- (xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।
- (xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- (xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मुल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।
- (xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के website पर upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

- (xviii) आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र वैध फोटो पहचान पत्र के साथ ही मान्य होगा। अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने हेतु प्रवेश पत्र के साथ पासपोर्ट/ पैन कार्ड/ आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र/ ड्राईविंग लाइसेंस में से किसी एक को मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। वैध फोटो पहचान पत्र धारित नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- (xix) मूल प्रवेश पत्र तथा वैध फोटो पहचान पत्र के बिना किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगी। मूल प्रवेश पत्र पर वीक्षक का हस्ताक्षर भी होगा। उस मूल प्रवेश पत्र एवं वैध फोटो पहचान पत्र के बिना किसी अभ्यर्थी को शारीरिक जाँच परीक्षण, चिकित्सीय जाँच परीक्षण, Apex Medical Board द्वारा चिकित्सीय जाँच परीक्षण तथा आयोग में प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच हेतु प्रवेश नहीं दिया जा सकता है जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी ही उत्तरदायी होंगे।
- (xx) परीक्षा सिर्फ राँची में अवस्थित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। परंतु आवश्यकता होने पर अन्य शहरों में भी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी।
- (xxi) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। इन कागजातों की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है। प्रमाण पत्रों के जाँच के समय इन्हें अनिवार्यता: जमा करना होगा।
- (xxii) परीक्षा में OMR ANSWER SHEET का उपयोग होगा तथा परीक्षा के बाद Computer के माध्यम से मूल्यांकन कार्य सम्पादित होता है। सभी अभ्यर्थी को हिदायत की जाती है कि OMR ANSWER SHEET पर आवश्यक प्रविष्टि (Entry) के अलावे उस पर किसी प्रकार का अन्य चिन्ह नहीं बनावे अन्यथा मूल्यांकन में त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। OMR ANSWER SHEET पर उत्तर के लिए संबंधित गोला को इस प्रकार Black Ball Point Pen से पूरा काला (Darken) करें जिससे कि किसी अन्य गोला पर कोई निशान/चिन्ह नहीं बनने पाये अन्यथा मूल्यांकन प्रभावित होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। OMR ANSWER SHEET में किसी भी प्रकार के चिन्ह बनाये जाने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- (xxiii) आयोग कार्यालय से किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय आवेदक अपना Registration No/Roll No/ पूर्ण पता (Pincode सहित)/ e-mail Id/ Mobile No. एवं संबंधित कागजात की Self Attested Photo Copy प्रति अनिवार्य रूप से दें।
- (xxiv) इस परीक्षा से संबंधित सूचनाएँ समाचार पत्र तथा आयोग के वेबसाईट www.jssc.nic.in पर प्रकाशित किया जायेगा।
- (xxv) आयोग को अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन एवं परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

₹0/-
परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
7 / बि०बि०आ०—०१९—०३ / २००२—४१५६ दिनांक— १७ जुलाई, २००२ द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र

कार्यालय का नाम :—

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए)

संख्या :—.....
.....

तिथि:.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ सुश्री
...पिता/ पति श्री पता—ग्राम/ वार्ड/ शहर.....
पो०, थाना, जिला के स्थानीय निवासी
हैं और यह प्रमाण—पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की
अधिसूचना संख्या— 3389, दिनांक— 22 दिसम्बर, 2001 के साथ संलग्न बिहार सरकार के श्रम एवं
नियोजन विभाग के पत्र संख्या— 3/स्था०नि० 5014/81—806, दिनांक— 03 मार्च, 1982 में
उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। यह प्रमाण पत्र मात्र नियोजन के संदर्भ में
मान्य होगा।

स्थान :—

दिनांक :—

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम
पदनाम

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक— 7 / जा.नि.
—19—11/2008 का.—5682 दिनांक— 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र—I

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण—पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या—.....

तिथि:—.....

....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी
...पुत्र/ पुत्री/ पत्नी, श्री निवासी, ग्राम/ कस्बा/ मोहल्ला
.....डाकघर..... थाना जिला राज्य.....
अनुसूचित जाति*/ अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत..... जाति/ उप
जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/ अनुसूचित जनजाति* के
रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... एवं/ अथवा उनका/ उनकी परिवार साधारणतः
गांव/ कस्बा....., शहर....., जिला....., राज्य.....
...में निवास करते हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा—23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में
अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित
जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक—
7/जाति-19-11/2008 का.—10007 दिनांक— 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र-II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
 पुत्र/पुत्री ग्राम/शहर
 थाना जिला झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001*,** की धारा-2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482 दिनांक— 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्थान (एस.सी.टी.) दिनांक— 08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :-

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :-

पदनाम

(कार्यालय की मुहर)

(नोट:- जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा-2 में सन्तुष्टि अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय—समय पर यथा संशोधित।

परिशिष्ट-(IV)

झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2018

चयन पर्षद

शारीरिक योग्यता परीक्षण

1. अनुक्रमांक.....
2. अभ्यर्थी का नाम
3. पिता / पति का नाम
4. शारीरिक योग्यता परीक्षण की तिथि
5. रस्थान
6. महिला / पुरुष
7. शारीरिक मापदण्ड :-

स्वअभिप्राणित
फोटो

क्रम सं.	जाँच हेतु मापदण्ड			माप / जाँच फल	जाँच पदाधिकारी की अभ्युक्ति (सफल / असफल)
1	जँचार्झ (न्यूनतम)	पुरुष अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग (अनु.-02) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु.-01) के लिए-160 सें.मी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 155 सें.मी।	महिला 148 सें.मी। (सभी कोटि के लिए)		
2	छाती का माप (न्यूनतम)	पुरुष (फुलाने पर) अनारक्षित / पिछड़ा वर्ग (अनु.-02) / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु.-01) के लिए-81 सें.मी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए-79 सें.मी।	महिला लागू नहीं		

8. शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु मापदण्ड

1.	दौड़	पुरुष	महिला		
		60 (साठ) मिनट में 10 (दस) कि. मी. की दौड़।	40 (चालीस) मिनट में 5 (पाँच) कि. मी. की दौड़।		

9. अभ्यर्थी का हस्ताक्षर..... तिथि..... रस्थान.....

10. जाँच दल का मंतव्य :-

अभ्यर्थी शारीरिक योग्यता/दक्षता परीक्षण में सफल/असफल है

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष
(हस्ताक्षर एवं सील)

परिशिष्ट-(V)

MEDICAL BOARD

Jharkhand Excise Constable Competitive Examination -2018 (JECCE-2018)

CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS

Roll No: _____

Candidate Name: _____

Father /Husband's Name: _____

Gender: _____ **Date of Birth (dd-mm-yyyy):** _____

Candidate Should
Paste Passport
Size Photograph
and Sign across
the Photo

<u>Sl. No.</u>	<u>Type of Test</u>	<u>Results</u>
1.	Physically Disability/Deformity (If any) (शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमना या अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए)	
2.	Vision	Left Eye Right Eye
3.	Colour Blindness/ Night Blindness	
4.	Hearing	
5.	Stammering	
6.	Bericocelle/ Hydrocele/ Piles (if any)	
7.	Any Communicable Physical /Mental disease.	

We certify that we have carefully examined this candidate and he/she has signed in my presence.

*He/ She has no Mental/ Physical disease and found FIT.

*He/ She has ----- disease and is NOT FIT.

* Strike out which is not applicable.

Place: _____

Date: _____

Signature of Candidate
(In Presence of Medical Board)

1. Dr. _____ 2.Dr. _____ 3.Dr. _____

(Member of Medical Board)

(Member of Medical Board)

(Member of Medical Board)

4. Dr. _____

{Member of Medical Board (Female)}

Dr.
(Chairperson of Medical Board)

परिशिष्ट-(VI)
RIMS, RANCHI

Jharkhand Excise Constable Competitive Examination -2018 (JECCE-2018)
CERTIFICATE OF MEDICAL FITNESS
(For Appellate Apex Medical Board)

Roll No: _____

Candidate Name: _____

Father /Husband's Name: _____

Gender: _____ **Date of Birth (dd-mm-yyyy):** _____

Candidate Should
Paste Passport
Size Photograph
and Sign across
the Photo

Sl No.	Type of Test	Results
1.	Physically Disability/Deformity (If any) (शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीत शिरा, ऊँगलियों को उचित ढंग से नहीं घुमना या अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए)	
2.	Vision	Left Eye Right Eye
3.	Colour Blindness/ Night Blindness	
4.	Hearing	
5.	Stammering	
6.	Bericocle/ Hydrocele /Piles (if any)	
7.	Any Communicable Physical /Mental disease.	

We certify that we have carefully examined this candidate and he/she has signed in my presence.

*He/ She has no Mental/ Physical disease and found FIT.

*He/She has ----- disease and is NOT FIT.

* Strike out which is not applicable.

Place: _____ Date: _____

Signature of Candidate
(In Presence of Medical Board)

1. Dr. _____ 2.Dr. _____ 3.Dr. _____

(Member of Apex Medical Board) (Member of Apex Medical Board) (Member of Apex Medical Board)

4. Dr. _____

{Member of Apex Medical Board (Female)}

5. Dr. _____

(Member of Apex Medical Board)

(Chairperson of Apex Medical Board)

परिशिष्ट-(VII)

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

विषय : हिन्दी

पुस्तक – क्षितिज भाग-2

काव्य-खण्ड

1. उधो तुम हौ अति बड़ेभागी – सूरदास
2. राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद – तुलसीदास
3. 'डार द्रुम पलना' 'पलनी नुपूर' – देव
4. 'आत्मकावय' – जयशंकर प्रसाद
5. 'उत्साह', 'अट नहीं रही' – सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला
6. 'फसल', 'यह दंतुरित मुस्कान' – नागार्जुन
7. छाया मत छुना मन – गिरिजा कुमार माथुर
8. कन्यादान – ऋतुराज
9. संगतकार – मंगलोश डबराल

गद्य-खण्ड

1. नेता जी का चश्मा – स्वयं प्रकाश
2. बाल गोबिन भगत – रामवृक्ष बेनीपुरी
3. लखनवी अंदाज – यशपाल
4. मानवीय करुण की दिव्य चमक – सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
5. एक कहानी यह भी – मनू भंडारी
6. स्त्री शिक्षा के विरोधी, कुतर्कों का खण्डन – महावीर प्रसाद द्विवेदी
7. नौबत खाने में इबादत – यतीन्द्र मिश्र
8. संस्कृति – भक्त आनन्द कौसल्यान

पुस्तक-कृतिका भाग-2

1. माता का औँचल – शिवपूजन सहाय
2. जार्ज पंचम की नाक – कमलेश्वर
3. साना साना हाथ जोड़ि – मधु कांकरिया
4. एही ठैयाँ झुलनी हेरानी हो रामा – शिवप्रसाद मिश्र रुद्र
5. मैं क्यों लिखता हूँ – अज्ञेय

व्याकरण :— क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण, अविकारी, समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन।

विषयः कुरमाली

1. **व्याकरण** : संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य – शुद्धिकरण।
 2. **शिष्ट साहित्य** : कुरमाली – साहित्य के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता)
 3. **लोक साहित्य** : कुरमाली लोकथा
 - लोकगीत – करम, बिहारीत, डमकच, बांदना (सोहराई)
 - झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी
 - कुरमाली साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ
 - कुरमाली साहित्य का सामान्य परिचय
-

विषयः हो

1. **व्याकरण** :- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली काल आदि।
 2. **साहित्यः**
 - (i) **गद्य संग्रहः**— मगे मुनु जगर, मादेड़ साड़े, लको बोदरा, बले बुरु रेयः काअनि, रितुइ गोन्डाई, लाड़ ओए चिल्काते बोँडोलेयना।
 - (ii) **पद्य संग्रहः**— गुलाब बड़ा, अबुअः भारत दिसुम, अम्बुल, जोनोम दिसुम, सिंगि।
-

विषयः खोरठा

1. **गद्य भागः**— कहानी, एकांकी, नाटक, लघु उपन्यास
 - (क) खोरठा गद्य— पद्य संग्रह— प्रकाशक खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो।
 - (ख) दू डाइर जिरहुल फूल
2. **व्याकरणः**— संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग निर्णय, मुहावरा, कहावत।

सहायक पुस्तकेः—

- (क) खोरठा सहित सदानिक व्याकरण — लेखक ए. के. झा
 - (ख) खोरठा व्याकरण — लेखक वासुदेव महतो
 3. **निबंधः**— समसामयिक विषय पर

सहायक ग्रन्थ — खोरठा निबंध संग्रह

सम्पादक मंडल — कुमारी शशि, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. बी. एन. ओहदार
-

खड़िया

1. **व्याकरण** :— संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरा, बुझवाल, उल्टा शब्द।
 2. **शिष्ट साहित्य** :— खड़िया पाठ्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता आदि)
 3. **लोक साहित्य** :—
 - (i) खड़िया कहानी (लोककथा)
 - (ii) खड़िया गीत—पर'ब—तिहा, बिहा (केरसोड.), मुरड', कसासिड।
 - (iii) खड़िया साहित्यकार—जुलियस बा', प्यारा केरकेट्टा, जोवाकिम डुँगडुँग, पौलुस कुल्लू।
 - (iv) **निबंध** — शहीद तेलेंग खड़िया, खड़िया महासभा, बंदोई, जाड, कोर, करम, मदेझत, जनम परब।
-
-

विषय: पंच परगनिया

1. **व्याकरण** :— संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, उल्टा शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, विशिष्ट शब्द, पत्र लेखन आदि।
 2. **शिष्ट साहित्य** :— पंचपरगनिया साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता आदि)
 3. **लोक साहित्य**—
 - (i) मारांग बुरू,
 - (ii) पूजा थान (देवस्थल)
 - (iii) करम गीत, सँहरझ गीत, बिहा गीत, पुसगीत, मंतर गीत।
 - (iv) बिरसा मुण्डा, स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े लोग
 - (v) पंचपरगनिया साहित्यकार एवं उनकी कृति
 - (vi) पंचपरगनिया साहित्य का परिचय
-
-

विषय : संथाली भाषा का पाठ्यक्रम

1. **व्याकरण** – संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण।
 2. **शिष्ट साहित्य** – संताली-साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, गीत, कविता आदि)
 3. **लोक साहित्य** –
 - (क) आगिल हापड़ाम कोवा; काथा,
 - (ख) आगिल हापड़ाम कोवा सेरेझ-एनेच-बाहा, डाहार, सोहराय, काराम, दॉसॉय।
 - (ग) माहात्मा गाँधी जियोन चरित।
 - (घ) सिदो कानहू और तिलका माँझी जीवन एवं आंदोलन
 - (ङ) संताली साहित्यकार एवं कृति
 - (च) संताली साहित्य का परिचय
-

विषय : संस्कृत

प्रश्न झारखण्ड राज्य के मैट्रिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होंगे। झारखण्ड राज्य में दशम कक्षा हेतु स्वीकृत पुस्तक शेमुषी (भाग-2) के सभी पाठ तथा उनमें अनुप्रयुक्त व्याकरण इसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे। इनके अतिरिक्त शब्द रूप, धातु रूप, तथा व्याकरण के अन्य भाग इस प्रकार होंगे –

शब्द रूप

बालक, फल, रमा, पति, मति, नदी, धेनु, वधू, पितृ, मातृ, राजन, गच्छन्, भवत्, आत्मन्, विद्वस्, तत्, किम्, इदम्, अस्मद्, युष्मद्।

धातु रूप (लट, लोट, विधि लिङ्‌ग, लङ्, तथा लृट लकारों में)

पठ्, गम्, लिख्, पा, स्था, दृश्, अस्, भज्, घा, हन्, श्रु, नृत्, स्पृश्, कथ्, कृ, ज्ञा तथा क्री।

सन्धि – स्वर सन्धि (भेदों सहित), व्यंजन सन्धि, विसर्ग-सन्धि।

समास – तत्पुरुष, वहुब्रीहि तथा द्वन्द्व समास।

कारक – सभी विभक्तियों का प्रयोग।

सामान्य व्याकरण – संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ध्वनि, पद, धातु, वाच्य रिवर्तन (केवल लट् लकार में)

विषय : नागपुरी

1. **नागपुरी व्याकरण से—** वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रियाविशेषण, कारक, काल धातु, क्रिया, अव्यय, विपरीतार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द उपसर्ग—प्रत्यय, समास अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वाक्य शुद्धि।
 2. **नागपुरी शिष्ट साहित्य से —** मंजर— भाग—2 से— शकुंतला मिश्र, डॉ. उमेशनन्द तिवारी
 3. **नागपुरी लोक साहित्य से —** लोक गीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरे
-

विषय : मुण्डारी

1. **व्याकरण —** संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग पुरुष, समान शब्द अर्थ अनेक, विलोम शब्द, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण।
 2. **शिष्ट साहित्य —** मुण्डारी साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश—कहानी, गीत कविता।
 3. **लोक साहित्य —** मुण्डारी लोक गीतों (बा, करम, जरगा, जतरा, जपि, अड़ान्दि)
-

विषय: कुडुख

1. **व्याकरण —** संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, पुरुष, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्दों के बदले एक शब्द, कहावत, मुहावरे, पहेली, काल आदि।
 - (क) **शिष्ट साहित्य —** कुडुख साहित्य पुस्तक के सभी पाठांश (कहानी, उपन्यास, नाटक, गीत, कविता)
 2. **लोक साहित्य —**
 - (क) लोक कथा
 - (ख) लोक गीत
 - (ग) मुहावरे
 - (घ) कहावतें
 - (ङ) पहेली
-

विषय : उड़िया

1. गद्य विभाग

(A) साहित्य – 2007 (OBSE)

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----------------------|
| (a) | दुनियार हालचाल | — | गोपाल चन्द्र प्रहराज |
| (b) | नारद स्तुति | — | डा. सदाशिव मिश्र |
| (c) | जातिय ख्रोतरे बुद्धिजीवी मानक स्थान | — | डा. वैद्यनाथ मिश्र |
| (d) | स्वाधीन जातिर नूतन मूल्यवोध | — | डा. गोलक विहारी घल |

(B) आम साहित्य – 2007 (OBSE)

- | | | | |
|-----|-------------------|---|--------------------|
| (a) | उच्चाभिलाष | — | शशिभूषण राय |
| (b) | सेहि स्मरणीय दिवस | — | डा. हरेकृष्ण महताव |
| (c) | विद्या ओ विधार्थी | — | चित्तरंजन दास |

2. पद्य विभाग

(A) साहित्य – 2007 (OBSE)

- | | | | |
|-----|-------------|---|------------------------|
| (a) | उत्कल संतन | — | मधुसूदन दास |
| (b) | नदी प्रति | — | मधुसूदन राउ |
| (c) | धउली पाहाड़ | — | पदमचरण पट्टनायक |
| (d) | आगामी | — | कालिन्दीचरण पाणिग्राही |
| (e) | बापुजी | — | डा. मायाधर मानसिंह |

(B) आम साहित्य – 2007 (OBSE)

- | | | | |
|-----|-------------------------|---|-------------------|
| (a) | युधिष्ठिरक धर्म परीक्षा | — | शरला दास |
| (b) | रामचरित | — | उपेन्द्र भंज |
| (c) | छांट पुणि एडे से विराट | — | सच्ची राउतराय |
| (d) | ग्रामपथ | — | विनोद चन्द्र नायक |

2. उड़िया साहित्यर इतिहास

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|--------------------|
| (a) | उड़िया साहित्यर आदि पर्व | — | सुरेन्द्र मंहान्ती |
| (b) | उड़िया साहित्यर इतिहास मध्य पूर्व | — | सुरेन्द्र मंहान्ती |
| (c) | उड़िया साहित्यर इतिहास | — | डा. मायाधर मानसिंह |
| (d) | उड़िया साहित्यर संक्षिप्त इतिहास | — | डा. वृदावन आचार्य |

3. काव्य ओ कविता

- | | | | |
|-----|------------------------------|---|-------------|
| (a) | श्रीमद् भागवत (एकादश स्कन्द) | — | जगन्नाथ दा |
| (b) | तपस्विनी | — | गंगाधर मेहर |
| (c) | कारा कविता | — | गोपवन्धु दा |

4. उपन्यास

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| (a) छ' माण आठगुण्ठ | — फकीर मोहन सेनापति |
| (b) माटिर मणीष | — कालिन्दी चरण पाणीग्रही |

5. गल्प

- | | |
|--|------------------------|
| (a) गल्प श्वल्प (प्रथम भाग) | — फकीर मोहन सेनापति |
| (b) आजिर गल्प संकलन
(डिमिरी फुल , मागुणीर शगड, शिकार) | — निमाइ चरण पाणीग्राही |

6. नाटक

- | | |
|--------------|---------------------|
| (a) कोणार्क | — अश्विनी कुमार घोष |
| (b) घर संसार | — रामचन्द्र मिश्र |

7. व्याकरण

लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, अव्यय, क्रिया, संधि, समास, रूढ़ि प्रयोग, विपरीतार्थक शब्द, कुदन्त, तद्यित ।

Subject : English Language and Literature

1. Language

- Error Recognition
- **Grammar-** Adjective, noun, pronoun, verb, subject-verb, Agreement, Interchangeability of noun and verb, Gerund, participle, Infinitive, Adverb, Tense, Clause, Transformation, Narration, voice, preposition .
- Synonyms
- Antonyms
- Idioms & phrases
- Comprehension passage etc

2. Literature

- **Novel-** Oliver Twist- Charles Dickens; Animal farm- George Orwell; Five Point Someone- Chetan Bhagat; Treasure Island- R.L. Stevenson; Retold Stories- lamb's Tale from Shakespeare
 - **Poetry-** The Daffodils- William Wordsworth; The Donkey- sir J. Arthur Thomson; Death Be Not Proud-John Donne; Leisure- W. H . Davis; Where The Mind Is Without Fear- Rabindranath Tagore; The Lovelist Of Tress-,The Cherry Now- A.E. Housman
 - **Short Stories-** Three Questions- Leo Tolstory; The Tiger's Claw- R.K. Narayan; A Man Who Had No Eyes- Mackinley Kantor; The Lost Jewel- Rabindranath Tagore .
 - **Essay-** Good Manners- J.C. Hill; The Sun, the Planets and the Stars- C. Jones; animals In Prison- Jawaharlal Nehru; Forgetting- R. Lynd.
 - **History of the English Language:** A History of English Language- A.C. Baugh, Origins of the English Language- Joseph Willies, Wikipedia.org
-

Subject : Urdu

1. Prose

- i. Qaumi Hamdari - Hali
- ii. Guzra Howa Zamana - Sir Syed Ahmed Khan
- iii. Achhi kitab - Molvi Abdul Haque

2. Poems

- i. Tarana-e-Hind - Iqbal
- ii. O Desh se Aanewale Bata - Akhtar Sheerani
- iii. Nagma-e-Sahar - Josh Malihabadi
- iv. Barkha Rut aur Pardes - Hali.

3. Grammar

- i. Opposite
 - ii. Gender
 - iii. Singular
 - iv. Plural
 - v. Meanings.
-

Subject : Bengali Language and Literature

1. Novel, Drama, Poetry

- (A) Ramer Sumati- Sharatachandra
 - (B) Mukut-Rabindranath Thakur
 - (C) Shishu Kabyo (Selected)- Rabindranath Thakur
 - (i) Manjhi, (ii) Pujar Saj
 - (iii) Sukhdukkha (iv) kagajer Nouka
 - (D) Kabyo Sanchayan- Sahyendranath Dutta
 - (i) Mati (ii) Jharna
 - (iii) palkirgan (iv) Sagar Tarpan
2. Grammar- Bisheshya, Bisheshan, Sarbanam, Kirya, Linga, Bachan
3. Essay
4. Letter writing